भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3000
सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)

खानों में दुर्घटनाएं

3000. कुमारी चंद्राणी मुर्मु:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में, विशेषकर ओडिशा में खानों में कितनी दुर्घटनाए हुई हैं और वर्ष 2010 से अब तक हुई मौतों और घायलों का ब्यौरा क्या है और ये दुर्घटनाएं किस प्रकार की हैं;
(ख) ओडिशा में मानदण्डों के अनुसार धनराशि, नौकरी और अन्य क्षतिपूर्ति के रूप में मुआवजा का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में मुआवजा संबंधी जिले-वार नीति क्या है;
(ग) लापरवाही के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;
(घ) क्या सरकार ने समाधान प्रदान करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है ताकि दुर्घटना न हो; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): वर्ष 2010 से ओडिशा सहित देश भर के खानों में हुई दुर्घटनाओं, मौतों और घायलों की संख्या अनुबंध-I पर दी गई है।

(ख): कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अनुसार खानों में काम करने वाले कामगारों को चोटों और मौतों के लिए मुआवजा संबंधित खान प्रबंधन द्वारा प्रदान किया जाता है। मुआवजे आदि का विवरण श्रम और रोज़गार मंत्रालय में केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

खान अधिनियम,1952 के अंतर्गत दुर्घटना में घायल कामगारों के हितों का संरक्षण करने के लिए उपबंध भी मौजूद हैं। खान अधिष्ठाताओं से उपबंधों का अनुपालन करने की अपेक्षा होती है अर्थात खान में वैकल्पिक नियोजन प्रदान करना जिसके लिए कर्मचारी चिकित्सा की दृष्टि से उपयुक्त हो और यथा निर्धारित दर के अनुसार निःशक्तता भत्ता निर्धारित की जाती है।

(ग): देश के खानों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या संलग्न है। प्रत्येक दुर्घटना के पश्चात, श्रम और रोजगार मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच करता है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जांच के बाद डीजीएमएस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार उचित

कार्रवाई करता है। इन कार्रवाइयों में न्यायालय में मुकदमा चलाना, निलंबन, सेवा से हटाना, पदोन्नति/वेतन वृद्धि रोकना, संवैधानिक पद से हटाया जाना आदि शामिल है।

(घ) से (ङ): डीजीएमएस को खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा खान कामगारों की सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए खानों के निरीक्षण का कार्य सौंपा गया है। खानों में होने वाली मौतों को कम करने और उसमें नियोजित कामगारों की सुरक्षा में सुधार के लिए डीजीएमएस द्वारा उठाए गए कदम निम्नवत हैं:

(i). विधायी उपाय: (क) दुर्घटना और खतरनाक घटनाओं की जांच के कारण और जिन कारणों से दुर्घटना हुई उन परिस्थितियों का पता लगाना और खान प्रबंधन के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना।

(ख): खानों का निरीक्षण: खदान या उसके हिस्से का अस्थायी ठहराव; निरीक्षण के दौरान पाए गए क़ानून के उल्लंघन को सुधारने के लिए सुधार नोटिस और निषेधात्मक आदेश देना।

(ii) मानक निर्धारण, आईएलओ सम्मेलनों की विभिन्न सिफारिशों को अंगीकार करने जैसे विकासात्मक उपाय करना।

(iii) खानों में सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) आयोजित करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य प्रशिक्षण प्रदान करने, सुरक्षा सप्ताहों और सुरक्षा अभियानों का पालन करने, बचाव संबंधी प्रतियोगिता आयोजित करने, सुरक्षा प्रबंधन, जागरूकता और सूचना में कामगारों की भागीदारी को बढ़ावा देने जैसे प्रचार-प्रसार के उपाय करना।

(iv) तकनीकी उपाय जैसे कि जोखिम मूल्यांकन तकनीकों की शुरूआत करना और सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार करना, जिसका उद्देश्य जोखिमों को कम करना और कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, खानों में असुरक्षित प्रथाओं से बचने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं की शुरुआत करना, चिन्हित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षित संचालन के लिए दिशा-निर्देश के रूप में समय - समय पर परिपत्र जारी करना है।

* ****

अनुबंध- I

'खानों में दुर्घटनाएं' के संबंध में कुमारी चन्द्राणी मुर्मु सभा द्वारा दिनांक 20.03.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3000 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

कैलेंडर वर्ष 2010-2022 के दौरान देश के खानों में घातक दुर्घटनाओं, गंभीर दुर्घटनाओं, मारे गए व्यक्तियों और घायल व्यक्तियों का विवरण

वर्ष	घातक दुर्घटना की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	गंभीर दुर्घटना की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या
2010	97	118	480	511
2011	65	67	533	556
2012	79	83	536	548
2013	77	82	456	468
2014	59	62	379	394
2015	54	55	302	316
2016	67	94	268	278
2017	56	61	266	272
2018	49	62	266	280
2019	51	56	193	204
2020	48	53	118	139
2021	43	51	188	195
2022	24	28	179	189

कैलेंडर वर्ष 2010 - 2022 के दौरान ओडिशा के खानों में घातक दुर्घटनाओं, गंभीर दुर्घटनाओं, मारे गए व्यक्तियों और घायल व्यक्तियों का विवरण

वर्ष	घातक दुर्घटना की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	गंभीर दुर्घटना की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या
2010	2	2	6	6
2011	4	4	10	10
2012	2	2	9	9
2013	1	1	9	10
2014	1	1	11	11
2015	3	3	4	4
2016	2	2	4	4
2017	5	5	2	2
2018	8	8	2	4
2019	7	10	2	2
2020	5	5	2	2
2021	2	2	3	3
2022	0	0	4	4

****